न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/371

1. मदन लाल आत्मज नारायण जाति बलाई ।
2. बुद्धि प्रकाश आत्मज जगन्नाथ जाति बलाई निवासीगण ग्राम गुढासदावर्तिया तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. मोहन लाल आत्मज किशोर जाति बलाई ।
2. भोलू आत्मज चुन्नी लाल जाति बलाई ग्राम गुढासदावर्तिया तहसील नैनवा जिला बून्दी।
3. रामप्रसाद आत्मज लखा जी जाति कलाल ग्राम गुढासदावर्तिया तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. लक्ष्मण आत्मज किशोर (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   - 4/1. इन्द्रा पत्नी लक्ष्मण ।
   - 4/2. प्रेम आत्मज लक्ष्मण ।
   - 4/3. राकेश आत्मज लक्ष्मण ।
   - 4/4. सोना पुत्री लक्ष्मण ।
   - 4/5. सुगना पुत्री लक्ष्मण ।
   - 4/6. ललिता पुत्री लक्ष्मण जाति बालई निवासीगण ग्राम गुढासदावर्तिया तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री सेफूद्दीन अंसारी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री तेजमल जैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 24.04.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.04.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी कम 4 के खातेदारी की प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित कृषि भूमियों पर आने–जाने हु रास्ता जो कि ग्राम गुढासदावर्तिया से जाने वाले आम रास्ते उत्तर दक्षिण जो देई रोड से मिलता है उस से मुडकर पश्चिम से पूर्व की ओर आराजी खसरा नम्बर 660 व 662 तथा आराजी खसरा नम्बर 663 की मेड के दक्षिणी सहारे –सहारे होते हुए प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 4 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 787/667

रकबा 09 बीघा 07 बिस्वा तक पहुंचते हैं । जिसके बाद प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी क्रम 4 की कृषि भूमियॉ आती हैं । प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य करीब 04 वर्ष पूर्व भी इस रास्ते के माले में विवाद हुआ था तब दिनांक 08.08.2009 को हुए इकरारनामे में अप्रार्थी संख्या 2 मदन लाल ने राजीनामा कर प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम 4 को डोल वाले कुए पर आने–जाने का रास्ता देना मंजूर किया था जिसमें ट्रेक्टर ट्रोली निकल सके । यह रास्ता मदन लाल व बुद्धिप्रकाश की मेड पर छोडा जायेगा तब से ही यह रास्ता निर्विवाद रूप से प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम 4 की कृषि भूमियों पर आने–जाने के काम में आ रहा है । इस रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम 4 का अपने कुए एवं खेत पर जाने का नहीं है ।

3. अतः प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम 4 के खाते की कृषि भूमियों प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित पर पहुंचने के प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 व 4 में वर्णित रास्ते को बहाल फरमाया जावे व उसका इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24.04.2017 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए रास्ते में कुल 12 फिट चौडे रास्ते के उपयोग में आना बताते हुए उस पर नियमानुसार प्रचलित बाजार दर का दोगुना प्रतिफल राजकोष जमा करने के पश्चात् राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने का निर्णय पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.04.2017 से व्यथित होकर अप्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय की अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी । उक्त अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी पटवारी हल्का ने दिनांक 11.07.2017 को अपीलान्ट के खेत में होकर रास्ता निकालने के निर्णय बाबत् दी जिस पर उक्त निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार जो रास्ता उत्तर से दक्षिण को नक्शा ट्रेस में दिखा रहा है कई वर्षों से मौके पर उपलब्ध नहीं है व उसकी भूमि समतल हो चुकी है तथा उससे होकर रेस्पोडेन्ट अपने खेत में नहीं आते–जाते हैं किन्तु इसके बावजूद भी उक्त रास्ते को मौके पर होना मानकर रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 को अपीलान्ट के खेत आराजी खसरा नम्बर 663 से 659 की भूमि में होकर रास्ता कायम करने का आदेश पारित करने में त्रुटि की है । प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट क्रम 4 लक्ष्मण की मृत्यु हो चुकी है और मृतक वयक्ति के खिलाफ निर्णय पारित किया है । प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य इस रास्ते के माले में विवाद हुआ था तब दिनांक 08.08.2009 को मदनलाल ने राजीनामा कर रास्ता मंजूर किया था सर्वथा गलत रूप से लिखा गया है जबकि पक्षकारों के मध्य कभी भी रास्ते को लेकर

राजीनामा नहीं हुआ इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.04.2017 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में 2016 डीएनजे पेज 222 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया और अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त रास्ता निकालने के लिए प्रचलित बाजार दर का दोगुना राशि राजकोष में जमा कराने पर उक्त रास्ता निकालने का आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.04.2017 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया । पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट क्रम 4 लक्ष्मण की मृत्यु हो चुकी थी अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक व्यक्ति के खिलाफ निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य इस रास्ते के माले में विवाद हुआ था तब दिनांक 08.08.2009 को मदनलाल ने राजीनामा कर रास्ता मंजूर किया था लेकिन पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज नहीं है जिससे साबित हो कि पक्षकारान के मध्य कोई रास्ते के विवाद के सम्बन्ध में राजीनामा हुआ हो । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने गलत व्याख्या करते हुए उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को 2016 डीएनजे पेज 222 की रोशनी में अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.04.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 30.05.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हो ।

13. निर्णय आज दिनांक 24.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा